न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **252/2021**

प्रार्थीगण :–

1. दिलीप सिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत निवासी सांभरा
2. गुलाबसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत निवासी सांभरा तह0 पचपदरा
3. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत निवासी सांभरा तह0 पचपदरा
4. जमना कंवर बेवा लालसिह जाति राजपूत निवासी सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मानाराम पुत्र किस्तुरराम जाति जाट निवासी सांभरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
2. चौथाराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी सांभरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्

अधिवक्तागण :– 1.श्री ओम प्रकाश डाबी प्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 02.05.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य है कि सरहद मौजा सांभरा पटवार हल्का खेड भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली के खसरा संख्या 129 में कुल 30 बीघा किस्म बारानी दोयम प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी लालसिंह पुत्र उदयसिंह को कृषि भूमि नियमानुार आवंटन की गयी थी बाद आवंटन आवंटी को नियमानुसार खातेदारी दर्ज किया गया, तब प्रार्थीगण खातेदारी भूमि का खसरा संख्या 243/129 बना, जिस पर आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण के हकपूर्वधिकारी का कब्जा काश्त रहा और प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता एंव प्रार्थीनी संख्या 4 के पति लालसिंह जी की फौतगी के बाद प्रार्थीगण का निरन्तर व सतत् रूप से खसरा संख्या 243/129 की रकबा 30 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला रहा है। तथा प्रार्थीगण के उक्त आराजी में रहवास हेतु पक्की ढाणी बना रखी है। किन्तु लोकसेवक हल्का पटवारी ने पुराने खसरा नं0 129 के नये खसरे बनाते वक्त प्रार्थीगण के कब्जा कश्त वाली भूमि खसरा संख्या 243/129 रकबा 30 बीघा बनाये, उ[illegible]गण के कब्जा काश्त व खातेदारी भूमि की जगह गलत रूप से कब्जे की जांच किये बिना [illegible] प्राधिकारी भू. अभिलेख अधिकारी के आदेश के बिना मनमाने ढंग से विप्रार्थी सं. [illegible] का अनुचित हित साधने के लिये राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त वाली [illegible] खसरा संख्या 243/129 की हद में गलत रूप से खसरा संख्या 240/129 की तरमीम दर्शा दी गयी है तथा प्रार्थीगण की भूमि को लम्बाई में दर्शाकर राजस्व नक्शे में अवैध तरीके से लाल स्याही से लकीरे खींचकर खसरा संख्या 240/129 की भूमि दर्शाकर बिना क्षेत्राधिकार के हल्का पटवारी ने मौका व कब्जे काश्त की जांच किये बिना व बिना किसी सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:20:48 IST
Reason: SelfAttested

प्राधिकारी के आदेश के अवैध तरमीम कर आपराधिक कृत्यु के माध्यम से अशुद्ध दस्तावेज, तरमीम की संस्थपना की है, विप्रार्थी भूमिधारक के अधीन कार्यरत राजस्व कर्मचारीयों ने वर्तमान ने उल्लेखित गलत तरमीम को राजस्व नक्शे मे दर्ज करने से पहले प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिये तथा प्रार्थीगण को सुने बिना नैसर्गिक विधि के सिद्वांत की अवहेलना करके गलत रूप से तरमीम कर राजस्व नक्शें में लाल लकीरे खींच दी है, ऐसी शुन्य तरमीम लकीरे खींचने मात्र से प्रार्थीगण के हक हित न तो दुष्प्रभावित हुए न ही हो सकते है । अतः वर्तमान आवेदन पत्र के मूल खसरा संख 243/129 माफिक खतौनी एवं आवंटन युक्त कब्जा के अनुसार मौके की कब्जा काश्त अनुसार समुचित जांच करके पूर्व की गयी तरमीम/प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23.06.2021 को निरस्त कर सम्पूर्ण तरमीम राजस्व नक्शें से हटाई जाकर माफिक कब्जा काश्त रकबा के अनुसार तरमीम शुद्वि/दुरूत करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड रसीदे बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । तहसीलदार पचपदरा को दिनांक 11.11.2021 को मौका रिपोर्ट कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट करने हेतु तहरीर जारी की गयी । तहसीलदार पचपदरा से पालना रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ/2022/545 दिनांक 31.03.2022 के प्राप्त हुई । उक्त रिपोर्ट में प्रार्थीगण के बताए अनुसार प्रार्थीगण का वर्तमान में कब्जा खसरा संख्या 240/129 में है जो परिशिष्ट 'ब' में दर्शाया गया उक्त खसरे में प्रार्थी महेन्द्रसिंह की रहवासी ढाणी व टांका बनाया हुआ तथा मौके पर तारबदी की हुई है, उपस्थित मौत बिरानो ने बताा कि उक्त स्थान पर (परिशिष्ट 'ब') अनुसार प्रार्थीगण कई वर्षो से काश्त भी कर रहे है।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई व तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट व पत्रावली मे प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की तरमीम मौके से भिन्न जगह पर की गई जो त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरहद मौजा मौजा सांभरा पटवार हल्का खेड भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली के खसरा संख्या 129 में कुल 30 बीघा के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के का वर्तमान में कब्जा खसरा संख्या 240/12[illegible] परिशिष्ट 'ब' में प्रस्तावित की गयी नक्शे में त्रुटिपूर्ण अंकन को सुधार कर तहसीलदार [illegible] द्वारा प्रस्तावित नक्शा वास्तविक कब्जे काश्त अनुसार तरमीम [illegible] करने के आदेश [illegible] जाते है। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तावित नक्शा आदेश के अभि[illegible] अंग होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:20:48 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
भू-अभिलेख अधिकारी
([illegible]) बालोतरा